राष्ट्र महिला

खंड 1 संख्या 165 अप्रैल 2013

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

संसद ने 16 दिसम्बर, 2012 को एक 23 वर्षीय लड़की के साथ हुए वीभत्स बलात्कार के बाद आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया है और इसे अधिक कठोर बनाया है। इस दरिंदगी बलात्कार ने देश को झकझोर दिया। पूरे देश में युवाओं, महिलाओं, सिविल अधिकार वाले समूहों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया और महिलाओं के विरुद्ध नृशंस अपराधों को रोकने के लिए कठोर कानून लाने की मांग की।

विधेयक में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के लिए और अधिक दंड का प्रावधान है जिसमें एक से अधिक बार बलात्कार करने वाले अपराधियों के लिए और जहां पीड़ित स्थायी तौर पर कोमा में चली जाती है, आजीवन कारावास अथवा मृत्यु दंड देने की व्यवस्था है। विधेयक के अनुसार सामूहिक बलात्कार के दोषी को ऐसी अवधि के लिए जो 20 वर्ष से कम की नहीं होगी परन्तु जिसे आजीवन तक के लिए बढ़ाया जा सकता है अर्थात उस व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन की शेष अवधि के लिए और जुर्माने सहित, कठोर कारावास की सजा दी जा सकती है।

पहली बार नए बलात्कार-रोधी कानून में पीछा करने, यौन हरकतें और तेजाब फेंकने के लिए दंड का प्रावधान रखा गया है। पीछा करना और यौन हरकतें दुबारा करने पर गैर-जमानती अपराध माना गया है। तेजाब फेंकने को अपराध परिभाषित किया गया है और विधेयक में पीड़िता को स्वयं की सुरक्षा करने का अधिकार दिया गया है जबकि कोई ऐसे अपराध करने के लिए जैसे पीड़िता के शरीर के किसी भाग को स्थायी अथवा आंशिक नुकसान पहुंचाने अथवा कुरूप करने अथवा जलाने अथवा अंग-भंग करने अथवा विकृत करने

चर्चा में आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक, 2013

का दोषी पाया जाता है तो 10 वर्ष का न्यूनतम कारावास जिसे जुर्माने के साथ आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।

कानून में भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन करने की बात कही गई है। विधेयक में बलात्कार को महिला विशेष अपराध की श्रेणी में रखा गया है जहां ऐसे अपराध करने पर केवल पुरुष के विरुद्ध मामला दर्ज किया जा सकता है। इसमें यौन सहमति के लिए 18 वर्ष की आयु रखी गई है। विधेयक में सभी सरकारी अथवा प्राइवेट अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों अथवा किसी अन्य चिकित्सा केन्द्र के लिए यौन दुराचार और तेजाब फेंकने के पीड़ितों को प्राथमिक चिकित्सा सहायता देने और निःशुल्क मेडीकल इलाज करना अनिवार्य बना दिया गया है। इससे इनकार करना अब दांडिक अपराध होगा। इसमें आगे कहा गया है कि ऐसे पीड़ितों का इलाज तुरन्त आरम्भ किया जाना चाहिए और पुलिस के आने तक इंतजार नहीं किया जाना चाहिए।

तथापि, ये सभी नए कानून महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को नियंत्रित करने में तब तक समर्थ नहीं हो सकेंगे जब तक कि समाज की सोच में परिवर्तन नहीं लाया जाता और दंड न्याय व्यवस्था में महिलाओं के प्रति पक्षपात को समाप्त नहीं किया जाता है। इसलिए इन कानूनों के साथ सुधार अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है जिससे विशेषकर पुलिस कार्मिक और सामान्य तौर पर जनता पुरुष और महिला की बराबरी के अधिकारों के प्रति जागरुक बन सकें और उनमें महिलाओं के प्रति आदर की भावना आएगी। अंत में, नए कानूनों से तब तक कोई सहायता नहीं मिलेगी जब तक हम यह न दिखा सकें कि उनको किस प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा की गई जांच

- सदस्या हेमलता खेरिया को एक जांच समिति की अध्यक्षा नियुक्त किया गया था जिसकी सदस्या सुश्री मानसी प्रधान और सुश्री असीमा महानंदा थी। इस जांच समिति का कार्य एक मीडिया रिपोर्ट की जांच करना था जिसमें कथित तौर पर बताया गया था कि उत्तर प्रदेश में एक 25 वर्षीय युवक को ओड़िसा की एक महिला से जो गुड़गांव के एक बॉर में काम करती थी, बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

  समिति ने उस कथित पीड़िता और उसकी बड़ी बहन से मुनीरका में उनके निवास स्थान पर मुलाकात की और उनका बयान दर्ज किया। उन्होंने घटना स्थल की भी जांच की। बाद में, समिति ने सरिता विहार पुलिस स्टेशन में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त और अन्य पुलिस अधिकारियों से मामले पर चर्चा की रिपोर्ट अध्यक्षा को प्रस्तुत कर दी गई है।
- आयोग ने अप्रैल, 2013 के महीने में 17 मामलों को स्वयं संज्ञान में लिया है।

लीक से हटकर कार्य करना

दक्षिण राजस्थान के राजसमंद जिले में पिपलानतरी ग्राम पंचायत अनेक वर्षों से बालिकाओं को बचाने का कार्य कर रही है और साथ में गांव में और उसके आस-पास अधिक संख्या में पेड़ लगा रही है। यहां जब भी कन्या का जन्म होता है तो गांव वाले 111 पेड़ लगाते हैं और गांव का समुदाय यह सुनिश्चित करता है कि लड़कियों के बड़ी होने तक यह भी बड़े हो जाएं। पिछले 6 वर्षों से गांव वालों ने 40 लाख पेड़ लगाए हैं जिनमें अन्य पेड़ों के साथ नीम, शीशम, आम, आमला के पेड़ भी हैं। यदि कुछ परिवार कन्याओं को स्वीकार करने में अनिच्छुक होते हैं तो ग्राम समिति ऐसे परिवारों का पता लगाती है और गांव वालों से 21,000 रुपये और कन्या के पिता से 10,000 रुपये लिए जाते हैं और कुल राशि लड़की के लिए सावधि जमा में डाल दिए जाते हैं जिसकी परिपक्वता अवधि 20 वर्ष की होती है। मां-बाप को भी एक शपथपत्र में हस्ताक्षर कराए जाते हैं कि वे अपनी बेटी की शादी कानूनी उम्र से पहले नहीं करेंगे और उसे स्कूल भेजेंगे और उसके नाम पर लगाए गए पेड़ों की देखरेख करेंगे।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने सुश्री मधु पॉल को गहरी संवेदना भेजी

नायब सूबेदार शिव कुमार पॉल, जो संयुक्त राष्ट्र शान्ति सेना के एक सदस्य थे और हमारे सहयोगी सुश्री मधु पॉल के पति थे, सूडान में हमले में मारे गए।

अध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा अपनी और राष्ट्रीय महिला आयोग की गहरी संवेदना मधु को व्यक्तिगत तौर पर व्यक्त करने के लिए लखनऊ गई और उन्हें सभी संभव सहायता देने का आश्वासन दिया।

अध्यक्षा मधु को संवेदना प्रकट करती हुई

अध्यक्षा की कार्यक्रमों में उपस्थिति

❖ राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा महिला विकास प्रकोष्ठ, शिवाजी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा "विकासशील विश्व में महिलाओं का सशक्तिकरण" पर आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि थी। इस अवसर पर बोलती हुई श्रीमती शर्मा ने सामान्यतः समाज में सोच और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए पुरुष और महिलाओं को साथ मिलकर कार्य करने के लिए सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने स्थानीय निकायों ओर संसद और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की प्रासंगिकता पर जोर दिया।

अध्यक्षा सम्मेलन को संबोधित करती हुई

❖ श्रीमती शर्मा नई दिल्ली में मिर्जा गालिब की पुण्य तिथि मनाने के लिए दो दिवसीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थी। एक डॉक्यूमेंटरी फिल्म "यादगार-ए-गालिब" जो प्रसिद्ध कत्थक नर्तकी उमा शर्मा द्वारा लिखित और निर्देशित थी, पर्दे पर दिखाई गई। उसके बाद सुश्री शर्मा और उसके ग्रुप ने नृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत किया।

श्रीमती ममता शर्मा श्रोताओं को सम्बोधित करती हुई

❖ अध्यक्षा ने चंडीगढ़ में टर्मिनल बॉलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा आयोजित "विज्ञान, शिक्षा और शोध के क्षेत्र में महिलाएं" पर एक दिवसीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) से लगभग 500 महिला वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों ने इस संगोष्ठी में भाग लिया और अपने अनुभव और विशेषज्ञता के बारे में बताया। संगोष्ठी में स्वास्थ्य देखरेख, समाज सेवा, विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।

❖ अध्यक्षा ने बेंगलुरु में इंडिया वर्ल्ड फाउंडेशन द्वारा आयोजित और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा समर्थित "भारतीय समाज में अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के समक्ष चुनौतियों" पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान एक लेक्चर दिया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने अल्पसंख्यक समुदायों के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रमों का विशेष रूप से उल्लेख किया और अल्पसंख्यक समुदायों में ऐसे कार्यक्रम और स्कीमों के

श्री एच.एस. भारद्वाज अध्यक्षा ममता शर्मा और सदस्या शमीना शफीक (उनके दाहिने ओर) के साथ

बारे में जानकारी होने की आवश्यकता पर बल दिया। अपने उद्घाटन भाषण में, राज्यपाल श्री एच. एस. भारद्वाज ने महिलाओं की भलाई के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं, गैर-सरकारी संगठनों और महिला आयोगों के संयुक्त प्रयास की आवश्यकता पर जोर दिया। सदस्या शमीना शफीक ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। कन्नड़ में प्रकाशित "हिंसा मुक्त घर - महिलाओं का अधिकार" शीर्षक पर पुस्तिका प्रतिभागियों को निःशुल्क वितरित की गई।

सदस्यों के दौरे

● डॉ. चारु वलीखन्ना असम में गुवाहाटी में आयोजित "वैश्वीकरण और पूर्वोत्तर भारत में महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण" पर एक संगोष्ठी में मुख्य अतिथि थी।

इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण से मुक्त व्यापार, पूंजी के निर्बाध प्रवाह में सहायता मिली है और महिलाएं अधिक खुले में आई हैं, उन्नत प्रौद्योगिकी और संचार माध्यम, सुधरीकृत परिवहन प्रणाली ने महिलाओं को अलग-थलग के परिवेश से बाहर निकाला है जो अब ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर शहरी केन्द्रों में काम ढूंढ रही हैं। बाद में उन्होंने असम राज्य महिला आयोग के साथ महिलाओं पर होने वाली हिंसा और महिला संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

डॉ. वलीखन्ना ने नई दिल्ली में "प्रवासी भारतीय और महिला" पर आयोजित सत्र की अध्यक्षता की और अनिवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं की समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त किए।

डॉ. वलीखन्ना ने नई दिल्ली में गिल्ड ऑफ सर्विसेज़ द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ मिलकर "विधवा नीति - अन्तर और समावेश" पर क्षेत्रीय सम्मेलन में उपस्थित हुई।

सदस्या डॉ. चारु वलीखन्ना (दाहिने से दूसरी) "वैश्वीकरण और पूर्वोत्तर भारत में महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण" पर संगोष्ठी में

सदस्या ने छत्तीसगढ़ में रायपुर का दौरा किया और महिला राज्य आयोग, छत्तीसगढ़ के साथ चर्चा की। बाद में वह छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड और गैर-सरकारी संगठन मानव अधिकार के लिए सामाजिक कार्यवाही फोरम द्वारा आयोजित एक जागरुकता कार्यशाला में उपस्थित हुई। उन्होंने कहा कि महिला शिल्पकारों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है क्योंकि इससे वे आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं।

डॉ. वलीखन्ना नई दिल्ली में आईएलओ और संयुक्त राष्ट्र की टास्क टीम द्वारा आयोजित "भारत के लिए सामाजिक संरक्षण मंच के बारे में संयुक्त राष्ट्र अध्ययन के निष्कर्षों का प्रसार" पर चर्चा के पैनल में थी।

● 18 अप्रैल 2013 में सदस्या हेमलता खेरिया ने पुरी में "महिलाओं के विरुद्ध हिंसा समाप्त करना : एक राष्ट्रीय रोड मैप" पर एक दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। इसमें देश के विभिन्न भागों से 300 महिला प्रतिनिधि उपस्थित हुई। अपने पांच दिवसीय दौरे में उन्होंने उड़ीसा के अनेक निर्धन गांवों का दौरा किया जैसे सतपाड़ा गृह, जहां दलित महिलाएं रहती हैं और खारे पानी की शुष्क मछली के उत्पादन का काम करती हैं। इन महिलाओं ने विपणन का उचित सुविधाओं के अभाव और बिचौलियों पर निर्भरता के बारे में शिकायत की। वह "कुरुशनाप्रसाद" पंचायत जो गांवों का एक समूह है, और बाहरी दुनिया

सदस्या हेमलता खेरिया महिला मछुआरिनों के साथ

नीलादरीपराद/बाराबरा गांव की अनुसूचित जनजाति की महिलाएं

सुश्री खेरिया कानहीपुर गांव में अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ

से कटा हुआ है भी गई। यह बताया गया कि जैव-विविधता में हस्तक्षेप से उनकी आजीविका में अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं। बाद में, उन्होंने ग्राम कानहीपुर का दौरा किया जहां से महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के अनेक मामले आए हैं।

वह खुरधा जिले के "टुंडरापुर" जहां अधिकतर दलित महिला मछुआरिन रहती हैं और जो अपने परिवार के लिए रोजी कमाने वाली हैं, सहित खुरधा के दूरस्थ कुछ जनजातीय और दलित गांवों में भी गई। वह बानपुर खंड में "निलादरीपराद" के दूरस्थ जनजातीय गावों और "बाराबरा"

पंचायत भी गई, जनजातीय महिलाओं ने विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और अन्य सरकारी स्कीमों के सरकारी लाभों के न मिलने के बारे में शिकायत की। सुश्री खेरिया ने स्थानीय अधिकारियों को इस मामले की जांच करने के लिए कहा। वह बीरादादी गांव और गोरदाझारी गांव भी गई जहां उन्होंने सरकण्डा और बांस के उत्पाद बनाने के काम में लगी दलित महिलाओं से बातें की। इन महिलाओं ने बिचौलिए के होने की शिकायत की और उनके कौशल को उन्नत करने और उनके उत्पादों को बाजार में बेचने में सरकार से वित्तीय सहायता देने के लिए अनुरोध किया।

● सदस्या शमीना शफीक फोर्टिस एस्कोर्टस हार्ट इंस्टिट्यूट द्वारा आयोजित एक 3डी इको इमेजिंग एण्ड फोइटल इकोकार्डियोग्राफी कार्यशाला में उपस्थित हुई। उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या पर एक व्याख्यान दिया। श्रीमती शफीक ने नई दिल्ली में गिल्ड ऑफ सर्विसेज द्वारा आयोजित वैधव्य पर राष्ट्रीय परामर्श पर भी बोला।

सदस्या नई दिल्ली में एमएआरजी फाउंडेशन द्वारा आयोजित मुस्लिम महिला पर राष्ट्रीय परामर्श में उपस्थित हुई। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के लिए काम करता है और मुस्लिम महिला अथवा महिलाओं के किसी अन्य समूह के बीच भेदभाव नहीं करता है। उन्होंने कहा कि केवल समस्याओं पर चर्चा करने के बजाए आवश्यकता इस बात की है कि हम शिक्षा, सरकार की स्कीमों और महिलाओं के अधिकारों पर ध्यान केन्द्रित करके समाधान के बारे में बात करें।

सदस्या शमीना शफीक (बाएं से तीसरी) मुस्लिम महिला पर परामर्श में

सदस्या ने वैष्णों नारी सेवा संस्थान द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मनेरगा अधिकार पर संगोष्ठी का उद्घाटन किया।

सदस्या नई दिल्ली में ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कम्पलेंटस काउंसिल की एक बैठक में उपस्थित हुई। वह इंदौर में "अल्पसंख्यक समुदाय के लिए केन्द्रीय स्कीमें और उनका प्रभाव" पर एक दिवसीय संगोष्ठी में भी उपस्थित हुई।

श्रीमती शफीक जुहू, मुम्बई में आयोजित मेड स्केप इंडिया (एमएसआई) पुरस्कार वितरण समारोह में सम्मानीय अतिथि थी। अपने भाषण में, उन्होंने समुदायिक सेवाएं, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं और मेडीकल नेटवर्किंग देने के लिए एमएसआई द्वारा किए गए प्रयासों की प्रशंसा की।

● 27 मार्च, 2013 को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा और सदस्या एडवोकेट निर्मला सामंत प्रभावलकर ने महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग जिले में महिला कार्यकर्ताओं और स्वयं-सेवा ग्रुपों से मुलाकात की और लघु ग्रामीण कुटीर उद्योग के कार्य में लगी महिलाओं से बातचीत की। अगले दिन, अध्यक्षा और सदस्या ने महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की समीक्षा करने और निवारक उपायों पर चर्चा करने के लिए सिंधु दुर्ग जिले के गैर-सरकारी संगठनों, पुलिस, पंचायत समिति, दहेज निषेध समिति और महिला बाल विकास के अधिकारियों के साथ परस्पर सक्रिय बैठक की।

सदस्या सिंधु दुर्ग जिले के सावंतवाड़ी में राज्य सरकार महिला छात्रावास गई। उन्होंने छात्रावास की दशा बहुत ही असंतोषजनक पाई। उन्होंने सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री को एक पत्र लिखा जिसमें छात्रावास में सुधार करने के लिए अपनी अनुशंसाएं दी।

श्रीमती ममता शर्मा और सदस्या निर्मला सामंत प्रभावलकर परस्पर सक्रिय बैठक में

29 मार्च, 2013 को सदस्या कोल्हापुर के कालम्बा में महिला कारागार गई। वहां महिला कैदियों ने सदस्या को सूचित किया कि उन्हें खाना, सफाई, स्वास्थ्य देखभाल, कानूनी सहायता आदि के बारे में कोई शिकायत नहीं है। सदस्या ने अनुशंसा की कि महिला कैदियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाए जाएं जिससे वे न केवल व्यस्त रहेंगी बल्कि इससे उन्हें आय अर्जित करने का एक स्रोत भी मिलेगा।

12 अप्रैल, 2013 को अध्यक्षा और सदस्या प्रभावलकर महिलाओं की भलाई के लिए राज्य सरकार द्वारा लिए गए विभिन्न पहलों पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा पुलिस, महिला बाल विकास विभागों के साथ आयोजित परस्पर सक्रिय बैठक में भाग लेने के लिए जयपुर गई। महिला संबंधित मुद्दों जैसे महिला बजट, सीमा पार मानव खरीद फरोख्त, पुलिस उदासीनता, कन्या भ्रूण हत्या आदि पर चर्चा हुई।

अधिक सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट : www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।